

## भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

|        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-     | परियोजना स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                              | जनपद-देहरादून के विकास खण्ड-सहसपुर की गल्जवाड़ी पेयजल योजना (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 53/2017) के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-0.158 है0) वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, को 15 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। |
| (i)    | राज्य /संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                             | उत्तराखण्ड राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                                 | देहरादून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                            | मसूरी वन प्रभाग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (iv)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे0में)                                                                                                                                                       | 0.767 हैक्टर (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-0.158 है0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                  | 0.158 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, रिखोली कक्ष सं0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (vi)   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                     | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)              | प्रस्तावित कार्य के समरेखण/स्थल पर कोई वृक्ष वाधित /प्रभावित होना निहित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                        | इस बावत प्रस्तावक विभाग को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव में चस्पा किये जाने बावत लिखा गया है।                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ix)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                                   | प्रस्तावित /चयनित स्थल दो वन प्रभागों (मसूरी वन प्रभाग एवं देहरादून वन प्रभाग) के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित परियोजना का आंशिक भाग मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन रिखोली कक्ष सं0 8 एवं ग्राम की निजी नाप भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।                                                                                                  |
| (x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)                         | नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक - प्रपत्र 18 पर तत्संबन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                                        | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। | नहीं। इस बावत प्रस्तावक एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक - प्रपत्र 30 पर तत्संबन्धी प्रमाण पत्र चस्पा है।                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.     | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                    | इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक - प्रपत्र 10 पर चस्पा है।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.     | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                      | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.    | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा                                                                                                                                                                                     | प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि के सापेक्ष परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की वांछित धनराशि का प्राक्कलन देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव पर चस्पा किया जायेगा।                                                                                  |



|       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।                                     | उक्तानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (ii)  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                | उक्तानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।                                                                    | प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ।<br>कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग।<br>समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर।<br>लागत:- प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु वांछित 0.767 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु वांछित धनराशि का प्राक्कलन देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा किया जायेगा। |
| (iv)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य।                                                                                                                                     | प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु वांछित 0.767 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु वांछित धनराशि का प्राक्कलन देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा किया जायेगा।                                                                                                                                                     |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) | उक्तानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.   | उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)                                                    | फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन विभाग, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग के कर्मियों /अधिकारियों, द्वारा दिनांक 09-05-2019 को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित भूमियों का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। प्रस्ताव में संलग्नक- प्रपत्र 4 में चर्चा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गयी है।                                                       |
| 12.   | विभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                                                                                                   | जिला- देहरादून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                                                                                                               | 3088.00 वर्ग कि०मी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ii)  | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                    | 2116.92 वर्ग कि०मी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र                                                                                                                | कुल मामलों की संख्या 115 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 262.5113 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 190.8498 है० है।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (iv)  | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण<br>(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-<br>(ख) वनेतर भूमि पर:-                                                 | (क) 414.678 हैक्टेयर / 651.6392 है०<br>(ख) रिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (v)   | अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति<br>(क) वन भूमि पर<br>(ख) वनेत्तर भूमि पर                                                                                                        | (क) 1-317.63 है० / 531.38 है० जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।<br>(ख) रिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.   | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश                                                                                     | प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु चयनित वन भूमि /क्षेत्र में तत्संबंधी कार्य तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत की स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।                                      |

हस्ताक्षर

दिनांक: 18-09-2019।

स्थान:- मसूरी,

नाम:- (कहकशां नसीम)

प्रभागीय वन अधिकारी

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी